350/4415

संख्याः–   /VI(1)/2017–02(17)/2011

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पर्यटन अनुभाग **देहरादून दिनांक 28 दिसम्बर, 2017**

विषयः–वित्तीय वर्ष 2017–18 के उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद हेतु अनुदान की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–321/2–3–43/2017–18, दिनांक 18 नवम्बर, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद के लिए अनुदान हेतु प्राविधानित धनराशि ₹ 2419.57 लाख में से अवशेष धनराशि ₹ 1686.24 लाख **(₹ सोलह करोड़ छियासी लाख चौबीस हजार मात्र)** को संलग्न विवरणानुसार निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(i) धनराशि अवमुक्त से सम्बन्धित पूर्व शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

(ii) स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(iii) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(iv) धनराशि व्यय करने से पूर्व मद के सापेक्ष परिव्यय की पुष्टि कर ली जायेगी।

(v) वितरण अधिकारी के द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 05 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–12 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

(vi) आवंटित धनराशि का उपभोग 31 मार्च, 2018 तक कर लिया जाय। अवशेष धनराशि समयान्तर्गत शासन को समर्पित कर दी जाय।

..2

(vii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत की जा रही है। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा। बजट योजनावार आवंटन उसके विपरीत मासिक योजनावार व्यय का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(viii) वित्तीय वर्ष के अन्त में कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(ix) वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 एवं मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219 (2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

2– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 का लेखानुदान में अनुदान संख्या–26 के लेखाशीर्षक–3452–पर्यटन–80–सामान्य–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के मानक मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–169/XXVII(2)/2017, दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

4– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी–S.17.12260295...द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्याः–3011 /VI(1)/2017–02(17)/2011, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
3– बजट अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
4– वित्त अनुभाग–2. उत्तराखण्ड शासन।
5– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्याः– /VI(1)/2017–02(17)/2011,दिनांकः दिसम्बर, 2017 का संलग्नक

क0 सं0	मानक मद	मांग की जा रही धनराशि
1	परिषद गठन	1,40,00,000
2	प्रचार–प्रसार	7,38,30,000
3	मानव संसाधन/साहसिक क्रियाकलाप	4,20,00,000
4	**चारधाम यात्रा व्यवस्था**	
	(1) श्री केदारनाथ यात्रा में अवस्थित पड़ावों में आगामी चारधाम (वर्ष 2017–18) हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं की सामग्री की आपूर्ति हेतु गढ़वाल मण्डल विकास निगम को राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि की स्वीकृति।	–
	(2) चारधाम यात्रा मार्ग पर सफाई व्यवस्था, पेयजल दवाईयों का छिड़काव।	1,00,41,000
	(3) वर्ष 2013 में श्री हेमकुण्ड साहिब में स्थापित किये गये 10 अतिरिक्त प्री–फैब्रिकेटेड बायो डिग्रेडेबल शौचालय हेतु	–
	(4) केन्द्र पोषित योजना अन्तर्गत वर्ष 2014 में पुनर्निर्माण विशेष पैकेज के अन्तर्गत श्री हेमकुण्ड साहिब ट्रैक यात्रा मार्ग पर 23 नगबायो शौचालय की अवशेष धनराशि	30,00,000
5	कन्सलटेंसी	1,27,53,000
6	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट	–
7	जिला स्तरीय कार्यालयों के अधिष्ठान व्यय हेतु	1,30,00,000
	योग :–	**16,86,24,000**

(रू0 सोलह करोड़ छियासी लाख चौबीस हजार मात्र)

(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव।